

संख्या:-शिक्षा-एच (21)ए(1)18/2017-शिकायत-लूज
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश।
दिनांक शिमला

जून, 2018

प्रेषित:

सभी उप निदेशक शिक्षा (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश।

06 JUL 2018

विषय :-
ज्ञापन,

Special Report.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सचिव, शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जिन जिलों, शहरों व स्थानों पर ओवरलोडिंग स्कूल बसों, निजी बसों व अन्य गाड़ियों में की जा रही हैं तथा बिना परमिट स्कूल बसें व गाड़ियां चलाई जा रही हैं उनके संदर्भ में विशेष रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

अतः सचिव, शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त अनौपचारिक पत्र संख्या: Shiksha-II-Chha(10)-1/2015 Part-II दिनांक 30.06.2018 संलग्न अनुलग्नक सहित आपको प्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि आप मामले में तुरन्त जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सम्बन्धित दस्तोवजों सहित इस निदेशालय को प्रेषित करे ताकि मामले की वास्तविक स्थिति से सचिव, शिक्षा हिमाचल प्रदेश को अवगत करवाया जा सके।

संलग्न 05 पृष्ठ

प्रतिलिपि:-

- 1 निजी सचिव, शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके अनौपचारिक पत्र संख्या: Shiksha-II-Chha(10)-1/2015 Part-II दिनांक 30.06.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2 रक्षक नस्ति।

(डा० अमरजीत कौर शर्मा)
निदेशक उच्चतर शिक्षा
हिमाचल प्रदेश शिमला.1

—sd—
निदेशक उच्चतर शिक्षा
हिमाचल प्रदेश शिमला.1

Endst. No: - EDN-U (G-IIR) Misc. 2018/- 5078
Office of the Deputy Director of Higher Education,
UnaDistt. Una (HP).

Dated Una 13 July, 2018

The Concerned Principals/ Headmasters of Private Affiliated Senior Secondary / High Schools , in Una District for information and they are directed to send the information to this office within three days positively.

Dy. Director of Higher Education,
Una Distt. Una (HP).

Most Immediate

No. Shiksha-II-Chha (10)-1/2015 Part-II
Government of Himachal Pradesh
Department of Higher Education

From

The Secretary (Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh

To

The Director, Higher Education,
Himachal Pradesh, Shimla-1.

Dated Shimla-171002

30/6-2018.

Subject:-

Special Report.

Sir,

I am directed to forward herewith the photocopy of the U.O. letter No. Secy/CM-H0503/2017-DEP-A-46924 dated 18-06-2018 alongwith enclosures received from the Spl. Secretary to the Chief Minister, H.P. on the subject cited above and to request you to seek the report on the incidents of accidents of vehicles carrying school students from all the Deputy Commissioners/Superintendents of Police in H.P. Besides all the concerned Deputy Directors (Hr. /Ele.Edu.) in H.P. may be directed to get in touch with all Deputy Commissioners/Superintendents of Police in the H.P. to seek the action taken report in this regard.

The Director of Higher Education, H.P. and Director of Elementary Education, H.P. may also monitor such cases at their level.

You are, therefore requested to take further necessary action accordingly and send report to this department at the earliest.

Yours faithfully,

Deputy Secretary (Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh
Shimla

30-6-2018.

Encl: As above

Endst: As above

Copy forwarded to the Director of Elementary Education, Shimla, H.P. for information and similar necessary action in the matter.

Jagdish
8/11/18

P. A. Cell	143981
DHE.....	
02 JUL 2018	
General	

Deputy Secretary (Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh

। इन स्कूलों में निजी गाड़ियां जो बच्चों को ले जाने व छोड़ने के लिए उपयोग की जाती हैं। गाड़ियों के ड्राइवर्स के पास वैध लाईसैंस भी नहीं है। कई स्कूलों की गाड़ियों में परिचालक नहीं हैं।

जिला ऊना में डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल ऊना, रुद्रा पब्लिक स्कूल बसाल, सैट मीरा पब्लिक स्कूल पंजवार हरोली, गुरुकुल पब्लिक स्कूल पक्का परोह अम्ब, गोकुल मोनटेन्सोरी स्कूल मेहरी दोसड़का अम्ब आदि में ओवरलोडिंग हो रही है और छात्रों को ठूस-ठूस कर भरा जाता है। जिला ऊना में मार्केट केमेल स्कूल ऊना, एस०एस०मॉडल स्कूल पीपलू बंगाणा, शिवालिक पब्लिक स्कूल तनोह बंगाणा, स्वामी विवेका नंद पब्लिक स्कूल गगरेट, टी०आर० पब्लिक स्कूल बंगाणा, संस्कार पब्लिक स्कूल भलेटी बंगाणा, महर्षि विद्या मन्दिर दौलतपुर चौक गगरेट, विकास पब्लिक स्कूल तलमेरा बंगाणा स्कूलों ने कुछ निजी बसें, टैक्सियां स्कूल के साथ अटैच की हुई हैं और निजी बसें व टैक्सियों के चालकों/मालिकों के पास छात्रों को ले जाने व छोड़ने के लिए परमिट नहीं है। इसके अतिरिक्त जिला ऊना में निजी स्कूलों की बसों में स्कूल प्रबन्धन द्वारा परिचालक न रखे हैं। जिला चम्बा में निजी/सरकारी बसों में सुबह/शाम, स्कूल व ऑफिस आते/जाते समय बसों में ओवरलोडिंग होती है।

अतः रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रेषित है।

कृते अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
गुप्तचर विभाग, हि०प्र०, शिमला-9

1. श्री विनीत चौधरी, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. श्री बी०के० अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं सतर्कता, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. डॉ० श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, हि० प्र०।
4. श्री सीता राम मरडी, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
5. श्री जगदीश चन्द्र, प्रधान सचिव, परिवहन, हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. श्री विनय सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रधान निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि मामले को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाएं।